उन्नीसवां कला मेला-2016

राजस्थान ललित कला अकादमी अपनी नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत वर्ष 1991 से राज्य की समसामयिक, सृजनात्मक गतिविधियों का सर्वाधिक व अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम कला मेले के रूप में आयोजित करती हैं। कला मेले का आयोजन भी इसी श्रृंखला में प्रान्त की सृजनात्मक, समसामयिक एवं पारम्परिक कलाओं को एक ही स्थान पर संगठित रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश के युवा एवं वरिष्ठ वर्ग के कलाकारों, विभिन्न चाक्षुष कला अभिव्यक्तियों की दक्षता और ऊर्जा का एक स्थान पर समन्वित प्रदर्शन के उद्देश्य का यह प्रयास होगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश के समसामयिक कला प्रवाह एवं प्रवृत्तियों का बोध आसानी से हो सकता है। इस क्रम में अब तक 18 कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है।

इस वर्ष कला मेले को और अधिक विस्तृत एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिये राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों, कला संगठनों एवं कलाकारों से भी भागीदारी हेतु प्रयास किये जा रहे है । साथ ही कार्यक्रम को ओर अधिक रोचक व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा प्रान्त की अन्य दृश्य एवं श्रव्य कला धाराओं की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं /व्यक्तियों के सहयोग से प्रदर्शित करने का प्रयास होगा । इन सभी कार्यक्रमों की सफलता हेतु राजस्थान ललित कला अकादमी राज्य एवं देश के सभी कलाकारों एवं कलाप्रेमी बन्धुओं से पूर्ण सहयोग की कामना करती है ।

यह बहुआयामी उन्नीसवां कला मेला इस वर्ष सहेलियों की बाडी, उदयपुर में 17 से 21 नवम्बर, 2016 तक प्रतिदिन अपरान्ह 2.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक एवं अवकाश के दिन प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक जनसाधारण के लिये निःशुल्क अवलोकनार्थ खुला रहेगा ।

स्टॉल्स का आवंटन

राजस्थान ललित कला अकादमी कृतियों के प्रदर्शनार्थ 10'x10'x10' की आक्टोनम सिस्टम की स्टॉल, जो तीन तरफ से ढकी एवं निर्धारित विद्युत व्यवस्था करके देगी किन्तु सम्पूर्ण वातावरण, व्यवस्था व सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुये इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन एवं फेरबदल के लिये अकादमी स्वतंत्र होंगी। यद्यपि स्टॉल आदि की यथासम्भव सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी, किन्तु फिर भी समस्त प्रकार की सुरक्षा व प्राकृतिक दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी प्रदर्शक व्यक्ति या समूह की ही होगी।

स्टॉल का आवंटन निर्धारित प्रपत्र (मय बायोडाटा व प्रदर्शित की जाने वाली ही कृतियों की कम से कम पाँच छायाचित्रों जिनके पीछे कृति का शीर्षक, साइज, व्यवहारिक कीमत व माध्यम के संलग्न करने) पर निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करवाने पर ही व राजस्थान ललित कला अकादमी की कला मेला समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया जावेगा। प्रतिभागिता शुल्क नगद, मनीआर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर के नाम दिनांक 3 नवम्बर, 2016 तक कार्यालय समय में आवेदन के साथ देय होगा।

आवेदन समिति द्वारा जांच में योग्य पाये जाने वाले आवेदकों को 8 नवम्बर, 2016 तक स्टॉल आवंटन की सूचना दे दी जायेगी अथवा कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते है तथा स्टॉल आवटंन के बाद आवटंन राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

प्रतिभागिता शुल्क एवं शर्तें

1. (क) अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत कला संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि हेतु — 5,000 रू. प्रति स्टॉल
   (ख) कलाकार समूहों हेतु (अधिकतम 5 कलाकार) — 5,000 रू. प्रति स्टॉल
   (ग) एकल प्रदर्शनी हेतु — 3,000 रू. प्रति स्टॉल
   (घ) कला दीर्घाओं व्यवसायिक आदि प्रदर्शनी हेतु — 10,000 रू. प्रति स्टॉल
2. उक्त किराया अकादमी द्वारा निर्धारित वर्तमान समयावधि के लिये प्रति स्टॉल होगा, जिसमें निर्धारित विद्युत खर्च, एक टेबल, एक टेबल कवर, पंजीकृत स्टॉल का बैनर व एक कुर्सी सम्मिलित है। इसके अलावा चाही गई अन्य सुविधाओं का व्यय अलग से नियमानुसार सम्बन्धित आवंटी को अग्रिम जमा कराना होगा। स्टॉल की साज–सज्जा अकादमी व कला मेले की गरीमानुसार ही आवंटी द्वारा की जायेगी।
3. आवंटित स्टॉल का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा एवं जिस प्रयोजन हेतु स्टॉल्स आवंटित की गई है, उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में ली जा सकेगी।
4. स्टॉल की मूल संरचना और आकार में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। स्टॉल की देखभाल स्वयं आवंटी की होगी। अकादमी कला मेला प्रांगण व स्टॉल में हुई घटना/दुर्घटना की किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
5. स्टॉल में बिना पूर्व अनुमति के कोई अतिरिक्त फर्नीचर अथवा उपकरण नहीं रखा जा सकेगा।
6. मेला समाप्ति के पश्चात् स्टॉल रिक्त करते समय एवं स्टॉल का कोई भी सामान मेला प्रांगण से बाहर ले जाने हेतु कला मेला समिति/अकादमी के स्वागत कक्ष से अनुमति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. कला मेले में विक्रय होने वाली कलाकृति की 10 प्रतिशत राशि अकादमी के "कलाकार सहायता कोष" हेतु देनी होगी। जो कलाकारों के हितार्थ है।
8. प्राथमिक स्तर पर स्टॉलो का आवंटन कला महाविद्यालयों, कला विभाग स्नातकोत्तर तथा कला विभाग स्नातक स्तर की सामूहिक प्रदर्शनी को संस्था के मार्फत निम्न प्रकार (प्राथमिकताओं एवं निर्देशों के अनुसार) किया जाएगा :
   (1) वे शिक्षण संस्थाएं जहाँ पूर्णकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं — –4 स्टॉल
   (2) ऐसे कला विभाग जहाँ अधिस्नातक/स्नातक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं — –2 स्टॉल
   (3) ऐसे विभाग जहाँ सिर्फ अधिस्नातक स्तर तक कला के अध्ययन की व्यवस्था है — –2 स्टॉल

   उक्त सभी संस्था प्रधानों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे कला मेले के स्तरीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित की जाने वाली कृतियों को गुणवत्ता के आधार पर पहले से ही अपने स्तर पर चयन कर भेजें तथा दिये गये नियमों/निर्देशो को पूर्ण ध्यान में रख कर भेजें।

उन्नीसवां कला मेला-2016

कला मेले मे स्टॉल आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

सचिव,
राजस्थान ललित कला अकादमी,
जे.15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर–302004

महोदय,

मैनें/हमनें अकादमी द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो का पूर्ण अध्ययन कर लिया/समझ लिया हैं और अकादमी द्वारा आयोजित उन्नसीवाँ कला मेला 2016–17 हेतु आप द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो का पूर्ण पालन करते हुये स्टॉल/स्टॉलों (..............................) के आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ एवं विस्तृत परिचय (बायोडाटा) मय निर्धारित छायाचित्रों एवं पूर्ण विवरण के संलग्न कर रहा/रही हूँ।

(प्रार्थी को हिन्दी व अंग्रेजी में अपना नाम/संस्था/समूह का नाम लिखना अनिवार्य है।)

संस्था/समूह/कलाकार का नाम (हिन्दी में)..............................

....

संस्था/समूह/कलाकार का नाम (अंग्रेजी में)..............................

....

पता..............................

....

फोन/मोबाइल नम्बर..............................

ई–मेल पता..............................

(आवंटन की श्रेणी–एकल/समूह प्रदर्शनी/ ग्रुप/संस्था/व्यावसायिक)

आवंटन हेतु राशि..............................रूपये नकद/मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट नं .... द्वारा दिनांक..............................को जमा करा रहा/रही हूँ।

स्थान..................... प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.....................

(संस्था की मोहर सहित)

9. कलाकारों को निम्न वरीयता के अनुसार स्टॉलो का आवंटन किया जाएगा :
   (i) राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कृत कलाकार/अकादमी द्वारा''कलाविद्'' से सम्मानित अथवा वे कलाकार जिनकी कृतियां राज्य की वार्षिक प्रदर्शनी में तीन बार चयनित हो चुकी हों।
   (ii) कलाकारों को स्टॉल का व्यक्तिगत आवंटन कृतियों की कला मेला समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात् किया जायेगा जिसके लिये उन्हें आवेदन पत्र के साथ बायोडाटा व प्रदर्शित की जाने वाली अपनी कृतियों के पाँच रंगीन छायाचित्र (समूह में भाग लेने वाले कलाकारो को प्रथक–प्रथक कम से कम तीन–तीन कृतियों के छायाचित्र) मय पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
10. स्टॉल आवंटी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन मेला समय आरम्भ होते ही एवं समाप्ति पर स्टॉल के आगे लगी कनात खोलें एवं बन्द करें।
11. स्टॉल का आवंटन एक बार होने के बाद उसे निरस्त नहीं (राशि वापस नहीं) किया जावेगा तथा स्थान की सीमितता व कला मेला समिति के निश्चित मापदण्डों (आवंटन हेतु) को मद्देनजर रखते हुए स्टॉल आवंटन का सर्वाधिकार अकादमी के पास सुरक्षित है।
12. कला मेले की निश्चित समायावधि से पूर्व एवं पश्चात् प्रवेश व स्टॉल खोलने की इजाजत किसी भी आवंटी को नहीं दी जायेगी।
13. स्टॉल दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को दोपहर 2.00 बजे आवंटी को आवंटित की जायेगी। आवंटी/आवंटियों को उसी दिन सांय 5.00 बजे तक अपनी कृतियाँ पूर्ण व सुव्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करनी होंगी तथा प्रदर्शित कृतियों के निर्धारित एवं उचित मूल्य व पूर्ण विवरण सहित सूची अकादमी कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करनी होगी। साथ ही प्रदर्शित कृति का शीर्षक कृति के साथ टाईप किया हुआ अंकित करना होगा।
14. आवेदकों से अनुरोध है कि कला मेले में कृतियाँ विक्रय हेतु भी होंगी ऐसे में कृतियों का मूल्य आकर्षित किन्तु व्यवहारिक होना भी आवश्यक है।
15. स्टॉल आवंटित व्यक्ति/संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वे मेला समापन के बाद स्टॉल को पूर्व स्थिति में अकादमी को सुपर्द कर दें।
16. स्टॉल व कला मेला परिसर (क्षेत्र) में किसी भी प्रकार की अश्लील व आपत्तिजनक कलाकृति/कलाकृतियों का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय का अधिकार स्थानीय कला मेला समिति/अकादमी के पास सुरक्षित होगा।
17. राजस्थान ललित कला अकादमी विशेष परिस्थितियों में या नियमों की पालना न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्टॉल का आवंटन निरस्त करने एवं आयोजन स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है तथा आवश्यकतानुसार उपरोक्त नियमों में परिवर्तन करने के लिये भी स्वतंत्र है।
18. कला मेला सम्बंधित किसी भी सूचना/जानकारी हेतु अकादमी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0141–2700784 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

सोविला माथुर,
सचिव
राज. ललित कला अकादमी
जयपुर–302004
फोन–0141–2700784

19 कला मेला

17 से 21 नवम्बर, 2016

राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन, उदयपुर के सहयोग से आयोजित

स्थान :

सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर